



## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए  
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)

रिपोर्ट 18.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है



राजस्थान सरकार  
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 2

## विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>प्राक्कथन</b>	-	(v)
<b>अध्याय I</b>		
<b>प्रस्तावना</b>		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखा परीक्षित इकाईयों का स्थान	1.2	1
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति	1.3	2
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर का संगठनात्मक ढाँचा	1.4	3
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.5	3
लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण नियम	1.6	4
समीक्षाओं/प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों का प्रति उत्तर	1.7	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुबर्ती कार्यवाही	1.8	9
<b>अध्याय II</b>		
<b>अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना	2.1	
<b>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</b>		
अनियमित व्यय	2.1.1	11
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निधियों का अनधिकृत विपश्चन	2.1.2	12
<b>नगरीय विकास एवं आवासन विभाग</b>		
निविदा का वैधता अवधि में अन्तिमोकरण नहीं किये जाने के कारण उच्च दर पर कार्य का आवंटन	2.1.3	14

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
औचित्यता के विरुद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले	2.2	
<b>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</b>		
एडवांस लाइफ सपोर्ट डप्करणों के अनुपयोगी रहने से निष्फल व्यय	2.2.1	16
<b>जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग</b>		
आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया जाना एवं विटुमिनस सड़क के निर्माण पर परिहार्य व्यय	2.2.2	18
विवाद रहित शृंगि उपलब्ध नहीं कराने के कारण परिहार्य व्यय	2.2.3	21
<b>सतत् एवं व्यापक अनियमितताएं</b>	2.3	
<b>वित्त विभाग</b>		
पेशान का सतत् अधिक भुगतान	2.3.1	24
<b>कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन की विफलता</b>	2.4	
<b>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन और पर्यावरण विभाग</b>		
जैव-चिकित्सा आपशिष्ट का प्रबन्धन एवं हस्तन	2.4.1	25
<b>चिकित्सा शिक्षा विभाग</b>		
मानस आरोग्य सदन हार्ट केयर एण्ड मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पीटल की लीज के लिये निजी जन सहभागिता	2.4.2	38
<b>स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग</b>		
उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना	2.4.3	47

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग</b>  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में उत्तर मैट्रिक लालत्रबृति के वितरण में अनियमितताएँ	2.4.4	56
<b>चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग</b>  दौमा केन्द्रों के संचालित नहीं होने के कारण अनुत्पादक व्यय	2.4.5	65
<b>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</b>  अवमानक गुणवत्ता की औषधि आपूर्ति को बसूली नहीं करना  दौमा सेन्टर, बर्न वार्ड, इंटर्मिड केवर यूनिट एवं पुनर्वासि केन्द्रों के उपयोग नहीं होने से अनुत्पादक व्यय	2.4.6 2.4.7	67 68
<b>महिला एवं बाल विकास विभाग</b>  पूरक पोषाहार के अनधिकृत व अनियमित नप्टीकरण के कारण हानि	2.4.8	70
<b>सामान्य</b>  लेखापरीक्षा प्रेषणों का उत्तर देने का अभाव	2.4.9	72

परिशिष्ट		
		पृष्ठ
परिशिष्ट 2.1	सात ट्रैमा केवर केन्द्रों पर अनुत्पादक व्यव एवं केन्द्रीय अनुदान के अनुपयोजन को दर्शाने वाला विवरण पत्र	75
परिशिष्ट 2.2	निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई अनियमितताएँ जोकि मार्च, 2013 तक लम्बित थीं, के श्रेणीवार और दर्शाने वाला विवरण पत्र	77